

यदि किसी पदाधिकारी/कर्मि को सेवानिवृत्ति के तिथि को सेवान्त लाभ की स्वीकृति नहीं की गयी है, तो अभ्युक्ति कॉलम-8 में इसके कारणों को स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

उपरोक्त प्रपत्र में ही दिनांक 31.10.2017 तक सेवानिवृत्त हुये कर्मि/पदाधिकारी जिनके सेवान्त लाभ का भुगतान नहीं किया गया है, उनका विवरण दिनांक 25.11.2017 तक समेकित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(प्रभु राम)

निदेशक (प्र०)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

2-12
प्रतिलिपि:-जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
/क०, पटना, दिनांक- 2017

ह०/-

निदेशक (प्र०)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

/क०, पटना, दिनांक- 2017
प्रतिलिपि :-कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/निदेशक, कृषि,
बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

निदेशक (प्र०)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

1016 ✓
प्रतिलिपि :-आईटीओ मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट
पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
/क०, पटना, दिनांक- 7-11 2017

निदेशक (प्र०)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।